

**Office of the Assistant Commissioner  
Central Revenue Building  
Main Road  
Ranchi**

File No. IV(21)74/S.TAX/STC/2001/

10/12/2004

Date

To

**M/s. VERMA & ASSOCIATES**  
AWAS, SHIVPURI, NEAR T V TOWER,  
KANKE, RANCHI UNIVERSITY  
RANCHI  
PINCODE - 834008  
JHARKHAND

Sir/Madam,

**Subject:** Allotment of Service Tax Code Number - Application Receipt No. **895** dated **10/12/2004**

1. Your STC Number is **ACVPV7867KST001**
2. The Location Code concerning your registered premise or office, is **870401**
3. You are advised to deposit Service Tax and other related Government dues in any of the authorised branches of the nominated bank(s). i.e.  
**STATE BANK OF INDIA**
4. You are required to quote the above STC Number on all the requisite documents and records like challans for duty payment, returns filed etc.,
5. You are advised to indicate account heads as indicated below in all challans used for remitting service tax or other dues (interest, penalty etc)

<b>Service</b>	<b>A/c Head For Tax</b>	<b>A/c Head For Other Dues</b>
ARCHITECTS SERVICES	00440072	00440073



*Vikas Kumar*  
10/12/04

Signature of the  
Assistant Commissioner of Service Tax  
with official seal

Place : Ranchi

CC : To

- (1)The Pay and Accounts Officer, RANCHI
- (2)The Superintendent of Central Excise, DHURWA



**झारखण्ड सरकार**  
**भवन निर्माण विभाग**

का०आ०सं०:- भ०नि०यो०-1-28/01-85

दिनांक:- 11-5-16

**कार्यालय आदेश**

झारखण्ड राज्य में सरकारी भवनों के निर्माण हेतु निरूपण एवं वास्तुविद् कार्य के लिए कन्सलटेन्ट पैनल को सूचीबद्ध करते हुए निम्न रूप से निर्धारित की जाती है :-

- 1) यह पैनल वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के लिए प्रभावी होगा।
- 2) भवन निर्माण संबंधी सभी कार्य केवल सूचीबद्ध वास्तुविद्/परामर्शी के द्वारा कराये जाने हेतु राज्य सरकार की बाध्यता नहीं रहेगी। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा पैनल में सूचीबद्ध वास्तुविद्/परामर्शी से भिन्न अन्य ख्याति प्राप्त संस्थानों को किसी कार्य विशेष के लिए कन्सलटेन्ट नियुक्त किया जा सकेगा।
- 3) सामान्य तौर पर भवन निर्माण कार्य का वास्तुविद् एवं निरूपण कार्य को पैनल में सूचीबद्ध कन्सलटेन्टों/ख्याति प्राप्त वास्तुविद्/कन्सलटेन्ट में से किन्हीं छः (6) कन्सलटेन्टों से प्रारंभिक ले-आउट प्लान प्राप्त करने हेतु सूचना दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित प्रारंभिक ले-आउट प्लानों को चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा :-

I) अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग	-	अध्यक्ष
II) मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य
III) अधीक्षण अभियंता, निरूपण अंचल, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य
IV) मुख्य/सहायक वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग	-	सदस्य

अभियंता प्रमुख का पद रिक्त रहने की स्थिति में मुख्य अभियंता समिति के अध्यक्ष होंगे।

- 4) चयन समिति द्वारा जिस प्रारंभिक ले-आउट प्लान पर सहमति दी जायेगी, कार्य उसी कन्सलटेन्ट को सौंपा जायेगा। चयन समिति द्वारा किसी भी प्रारंभिक ले-आउट प्लान पर सहमति नहीं दिये जाने की स्थिति में सूचीबद्ध/ख्याति प्राप्त कन्सलटेन्टों में से अन्य कन्सलटेन्टों से प्रारंभिक ले-आउट प्लान प्राप्त करने हेतु सूचना दी जा सकती है।
- 5) कन्सलटेन्ट द्वारा कार्य का प्राक्कलन झारखण्ड राज्य में प्रचलित अनुसूचित दर पर ही समर्पित किया जायेगा। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित दर में जो आईटम उपलब्ध नहीं हैं उन आईटमों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित अनुसूचित दर (संबंधित क्षेत्रों के लिये) के अनुसार प्राक्कलन समर्पित किया जायेगा।



पारी.....2

11	<b>ATELIER CONSULTANT</b> 1 St Floor, Gourav Enterprises, Kadru Division Road, (Near Hotel Yuvraj palace), Doranda, Ranchi - 834002 Telephone : 9934506291, 0651-2252760 Email : atelier.consultant@gmail.com
12	<b>ODYSSEY TECHNICAL &amp; ECONOMIC CONSULTANTS</b> Plot no: B-2/304, Ground Floor Tara Nagar, Old Palam Road Kakrola, New Delhi-110078 Telephone no : 07597299455
13	<b>ARCHITECT &amp; ENGINEER ASSOCIATES</b> Rathod, 303, 3rd Floor, Circular Road, Lalpur, Ranchi, Jharkhand-834003 Mob- 9939372780, 9708550600
14	<b>RANCHI DESIGN &amp; CONSULTANCY SERVICES Pvt. Ltd.</b> Manda Bagicha, Harihar Singh Road, Morabadi Ranchi - 834002 Telephone no : 0651-2412836 Email : rdcsindia1@gmail.com
15	<b>D IDEA ARCHITECTS</b> SD 141, Sector 45, Noida Telephone No - 0120-6516674 Email Id : info@d-ideaarchitects.com
16	<b>DESIGN CONSULTANT</b> 45, New A.G Co-Operative colony, Kadru, Ranchi-834002, Jharkhand
17	<b>ATULYA ARCHITECTS</b> 304 Anand Complex Near Lalpur P.S. H.B. Road Ranchi - 834001 (Jharkhand) Telephone no : 0651-2212741 Email : atulyaarchitects@gmail.com
18	<b>VERMA &amp; ASSOCIATES</b> AWAS shivpuri, Ranchi - 834008, Jharkhand Telephone no : 0651-6455402 E-mail : vijoykrverma@yahoo.co.in
19	<b>AKSHAYA JAIN &amp; ASSOCIATES</b> C-6 / 6098, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Telephone no : 011-26132304 E-mail : mail@akshayjain.com

- 8) उपरोक्त सभी आर्किटेक्ट/कन्सलटेन्ट सभी प्रकार के भवन निर्माण कार्यों का वास्तुविद् एवं निरूपण कर सकेंगे।
- 9) कन्सलटेन्ट के लिए भवन के साथ-साथ स्वच्छता अधिष्ठापन एवं जलापूर्ति कार्य तथा विद्युत कार्यों का निरूपण एवं प्राक्कलन समर्पित करना अनिवार्य होगा। जिस भवन में फायर प्रोटेक्शन, लिफ्ट, लैण्डस्केपिंग एवं भवन संबंधित अन्य प्रावधान होंगे, उनका निरूपण एवं प्राक्कलन समर्पित करने के लिए वे बाध्य होंगे।
- 10) झारखण्ड राज्य में भवन निरूपण एवं वास्तुविद् कार्य में यह ध्यान रखा जायेगा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित भूकम्प जोन के अनुरूप तथा शारीरिक रूप से "हैन्डीकैप्ड" व्यक्तियों के लिए कानूनी आवश्यकताओं को देखते हुए भवनों का निरूपण हो।
- 11) कन्सलटेन्ट्स द्वारा कार्य कराने के लिए "प्रोजेक्ट कॉस्ट" के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित दर निम्नवत् है :-

*Chimney*

जारी.....4

- v) कन्सलटेन्सी फीस का भुगतान- ड्राईंग/ डिजाइन/डीपी0आर0 तैयार कर विभाग को समर्पित करने के समय ही कन्सलटेन्सी फीस का ध्यौरा अलग से विभाग को समर्पित किया जायेगा, जिस पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी तथा प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त समर्पित फीस/ बिल के 80 प्रतिशत राशि का भुगतान की कार्रवाई संबंधित प्रमंडल से की जायगी।
- 12) विभागीय कार्यालय आदेश- 119, सहपठित ज्ञापांक- 2509 (भ), दिनांक- 17.10.14 के द्वारा सूचीबद्ध पैनल वित्तीय वर्ष 2016-17 तक प्रभावी रहेगी।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

Ganesh  
11-5-16

सरकार के संयुक्त सचिव  
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:- 1465(भ)

दिनांक :- 11-5-16

प्रतिलिपि :- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागीय आयुक्तों एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/सभी उपायुक्तों/सभी विभागाध्यक्षों/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग एवं सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ganesh  
11-5-16

सरकार के संयुक्त सचिव  
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:- 1465(भ)

दिनांक :- 11-5-16

प्रतिलिपि :- सभी सूचीबद्ध वास्तुविद्/ परामर्शी को सूचनार्थ प्रेषित।

Ganesh  
11-5-16

सरकार के संयुक्त सचिव  
भवन निर्माण विभाग, राँची।